संसाधन पुस्तिका

aadi

आदि द्वारा विकसित

सौजन्य से

THE hans FOUNDATION

प्रस्तावना

इस संसाधन पुस्तिका के माध्यम से बल्लभगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण वासियों , विकलांग व्यक्तियों व उनके परिवारों को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में तथा उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। पुस्तिका में कुछ ही मुख्य क्षेत्रों व विभागों से सम्बन्धित जानकारी एकत्रित की गई है तथा यह अगस्त व सितम्बर माह 2016 में एकत्रित जानकारियों के आधार पर बनी है । अतः समय के साथ कुछ जानकारी आगे परिवर्तित होगी तथा कुछ नई जानकारी व विभाग इस पुस्तिका में जुड़ते चले जायेंगे ।

आशा है इस पुस्तिका के अन्दर एकत्रित की हुई जानकारी से समुदाय के लोगों को लाभ पहॅंचेगा ।

हरियाणा महिला विकास निगम

1.हरियाणा महिला विकास निगम

समाज में महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक बराबरी का दर्जा दिलवाने व महिलाओं के विकास , कल्याण व उन्नति के लिए हरियाणा महिला विकास निगम का गठन किया गया है । हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंको के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत् ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

1.1 ऋण योजना

योजना क्या है ?

इस योजना के तहत् महिलाओं को बैन्कों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। महिला जिसकी वार्षिक आय 5000 रू तक है उसको 75000 रू तक का ऋण तथा वह महिला जिसकी वार्षिक आय 15000 रू है उसे 50000 रू तक का ऋण दिया जाता है। महिला मंडल, महिला समिति या बैंक के द्वारा पंजीकृत समूह को 300000 रू तक का ऋण दिया जाता है। ऋण की ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक है तथा अलग से अनुदान भी है ।

निगम के पास एक रिवॉल्विंग फंड 10000 रू भी होता है जिसे निगम सीधा महिला समूह को देता है तथा जिसकी ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक है।

1.2 प्रशिक्षण योजना

योजना क्या है ?

इस योजना के तहत् कम्पयूटर प्रशिक्षण कोर्स चलाया जाता है जिसमें 200 रू प्रतिमाह शुल्क देना होता है। कोर्स की समयावधि 3 महीने से 2 वर्ष की है। मैट्रिक या समकक्ष शैक्षिक योग्यता आवश्यक है।

1.3 शिक्षा ऋण योजना

योजना क्या है ?

हरियाणा राज्य की महिलाओं की उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए जैसे स्नातक या उससे आगे की पढ़ाई के लिए निगम ऋण उपलब्ध कराता है।

1.4 रिवॉल्विंग फंड योजना

योजना क्या है ?

साक्षर महिला समूहों को सैनेटरी नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण देने व इकाई लगाने के लिए निगम 100000 रूपए तक का फंड 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाता है । जिसका ब्रांड नाम 'मुक्ति' है ।

इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय से सम्पर्क करना होगा जिसका पता है :

जिला प्रबंधक,
हरियाणा महिला विकास निगम,
दूसरा तल, ए ब्लॉक, लघु सचिवालय
सैक्टर–12 ,कोर्ट, फरीदाबाद

इन योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता है कि यह किसी भी जाति की महिला को मिलेगा, महिला फरीदाबाद जिले की स्थायी निवासी हो उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में हो । ये योजनाएँ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रहने वाली दोनों प्रकार की महिलाओं के लिए हैं।

प्रक्रिया

ऋण आवेदन पत्र फॉर्म, 1 रूपए के शुल्क पर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। ऋण आवेदन पत्र के लिए पहचान पत्र बनाने में ग्राम सरपंच तथा निगम अधिकारी सक्षम हैं। ऋण आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को 2 पासपोर्ट आकार के फोटो तथा राशन कार्ड की छाया प्रति लगानी है। ऋण आवेदन पत्र फॉर्म, जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, के पास से मिलेगा तथा आवेदन पत्र भरकर, मॅागे गये दस्तावेजों के साथ वहीं जमा करना होगा।

जिला प्रबंधक,
हरियाणा महिला विकास निगम,
दूसरा तल, ए ब्लॉक, लघु सचिवालय,
सैक्टर–12, कोर्ट, फरीदाबाद

और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए Åपर लिखे पते पर सम्पर्क करना है, जो कि जिला स्तर कार्यालय है यदि और अधिक जानकारी लेनी है या यहॉ से समस्या का समाधान नही हुआ है तो राज्य स्तर कार्यालय से सम्पर्क करना है। जिसका पता हैं :

हरियाणा महिला विकास विभाग,
एस.सी.ओ. 60–62 , दूसरा तल,
सैक्टर – 17 सी , चण्डीगढ़
फोन : 0172 –2548352
ईमेल **hwdc@readeffmail.com**
hwdc@trig.nic.in

तथा जन सूचना अधिकार 2005 के तहत् भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।